उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 3872(1)/आठ–1–07–34 विविध/03
लखनऊ : 17 सितम्बर, 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु शासनादेश संख्या 3872(1)/आठ–1–07–34 विविध/03, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 जारी की गयी है। उक्त नीति में निहित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का निम्नवत गठन किए जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं :–

(I)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(II)	औद्योगित विकास आयुक्त	सदस्य
(III)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(IV)	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
(V)	प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग	सदस्य
(VI)	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
(VII)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
(VIII)	आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
(IX)	सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष	सदस्य
(X)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(XI)	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य–संयोजक
(XII)	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
(XIII)	सम्बन्धित जिलाधिकारी	सदस्य

2. उक्त समिति का कार्य–क्षेत्र निम्नलिखित होगा :–

(I) हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 के अनुसार कन्सार्शियम एम.ओ.यू. 'फाइनेसिंग प्लाल', 'डाक्यूमेंट फार सब्मिशन ऑफ एप्लीकेशन्स/प्रपोजल', विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम एवं शासकीय अभिकरण के मध्य निष्पादित होने वाले एम.ओ.यू. एवं पुनरीक्षित एम.ओ.यू. तथा 'डेवलपमेंट एग्रीमेंट' के प्रारूपों का निर्धारण एवं अनुमोदन।

(II) हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु निजी क्षेत्र की विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम से प्रस्ताव आमंत्रण आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेना।

(III) हाई–टेक टाउनशिप हेतु प्राप्त प्रस्तावों का 'डाक्यूमेंट फार सब्मिशन ऑफ एप्लीकेशन्स/प्रपोजल' में विहित प्रक्रियानुसार मूल्यांकनोपरान्त विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम के चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेना।

(IV) विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम द्वारा नये अथवा पूर्व अनुमोदित हाई–टेक टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करना।

(V) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम को छूट देने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करना।

(VI) हाई–टेक टाउनशिप के विकास कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि (5 वर्ष) में विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

(VII) नगर स्तरीय नयी अवस्थापना सुविधाओं की लागत विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम से वसूल करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

(VIII) हाई–टेक टाउनशिप नीति–2007 के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवही करना तथा क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु 'सिंगल विन्डो' समाधान सुनिश्चित करना।

(IX) हाई–टेक टाउनशिप नीति के प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम के विरूद्ध कार्यवाही करना/चयन के निरस्तीकरण के साम्बन्ध में निर्णय लेना।

(X) हाई–टेक टाउनशिप नीति–2003 के अधीन अनुमोदित प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त बिन्दु संख्या –(I) से (IX) के अनुसार अवशेष आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(XI) उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करना/निर्णय लिया जाना।

मोहिन्दर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या– 3872(2)/आठ–1–07–34 विविध/03, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगित विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
11. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
19. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव